"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2018 — माघ 27, शक 1939

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 03-09/तीन-जेल/2017. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय) जेल सेवा नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-एक, दो, तीन एवं चार में, शब्द "सहायक जेलर" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "सहायक जेल अधीक्षक" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-दो के भाग-क में, सरल क्रमांक 6 के कॉलम(6) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"50% नीचे दिये गये अनुपात के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा एवं मौखिक साक्षात्कार द्वारा :-

क. 40 % प्रहरी संवर्ग से

ख. 5 % लिपिक वर्गीय संवर्ग से

ग. 5 % शिक्षक संवर्ग से

टीप :- प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थिति के लिए अभ्यर्थी के पास उपरोक्त किसी भी पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा होना चाहिए तथा 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं (हायर सेकेण्डरी) अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए."

3. अनुसूची-तीन के भाग-क में, कॉलम (2) में प्रविष्टि "सहायक जेल अधीक्षक" के तत्स्थानी कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए. ऊंचाई 1.65 मीटर, सीने का माप बिना फुलाये 0.80 मीटर, दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य तथा शारीरिक रूप से सभी प्रकार से स्वस्थ होना चाहिये.

महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई कम से कम 1.55 मीटर होना चाहिए, सीने की माप अपेक्षित नहीं है."

4. अनुसूची-चार के भाग-क में, कॉलम (2) में प्रविष्टि "प्रहरी" एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"तदैव	प्रहरी संवर्ग/ लिपिक वर्गीय संवर्ग/शिक्षक संवर्ग	सहायक जेल अधीक्षक	05 वर्ष	अध्यक्ष - जेल उप महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा नामांकित सदस्य. सदस्य - अधीक्षक केन्द्रीय जेल अथवा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा नामांकित सदस्य. सदस्य - अधीक्षक जिला जेल अथवा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा नामांकित सदस्य."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 03-09/तीन-जेल/2017.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 03-09/तीन-जेल/2017, दिनांक 12-02-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 12th February 2018

NOTIFICATION

No. F 03-09/Three-Jail/2017.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Non-Gazetted Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Jail Service Rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-I, II, III and IV, for the words "Assistant Jailor", wherever they occur, the words "Assistant Jail Superintendent" shall be substituted.

2. In Part-A of Schedule-II, for the entry in column (6) of serial number 6, the following shall be substituted, namely :-

"50% By Competitive Exam and Oral Interview as per ratio given below :-

A. 40% by Warder staff

B. 5% by Ministerial staff

C. 5% by Teacher staff

Note :- For appearing in Competitive Examination candidate must have 05 years of regular service on any of the above posts and must have passed 12th (Higher Secondary) Under 10+2 System or Higher Secondary Examination of old System."

3. In Part-A of Schedule-III, for the entry in column (5), corresponding to entry "Assistant Jail Superintendent" in column (2), the following shall be substituted, namely :-

"Must have passed degree course of any recognized Institute. Should posses 1.65 Meter height, 0.80 Meter Unexpanded chest measurement, normal vision in both the eyes and physically fit in all respect.

Women candidate should posses at least 1.55 Meter height, chest measurement is not required".

4. In Part-A of Schedule-IV, after serial number 7, the following entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"-do-	8	Warder staff/ Ministerial staff/ Teacher staff	Assistant Jail Superintendent	05 year	Chairman - The Deputy Inspector General of Jail or nominated member by Director General Prison and Correctional Services. Member - The Superintendent Central Jail or nominated member by Director General Prison and Correctional Services. Member - The Superintendent District Jail or nominated member by Director General Prison and Correctional Services."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.